30/4/18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब दावा पेश। जिसकी नकल वादी वकील को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब उल जवाब दिनांक 19-6-18 को पेश हो।	रेवतीलाल
19.6.18	पत्रावली लोक अदालत कैम्प बनोलिया मे पेश हुई। उभयपक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा मजमे आम मे जाहिर किया गया कि ग्राम धनवां तहसील डीगोद स्थित ख० नं० 429 रकबा 0.77 हे० भूमि वादीगण के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है एवं ख० नं० 430 रकबा 0.76 हे० प्रतिवादी	नि० कल्ला बाई नि० [illegible]लाल नि० [illegible] [illegible] [illegible]

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी... जो किस... तामील ...
	नं० 2 व 4 के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक दस्तावेज ख० नं० 429 पूर्व ख० नं० 641 से बनना जाहिर आता है, जो सहवन से दौराने सेटलमेंट पश्चात् बनी जमाबन्दी मे मुताबिक मिलान क्षेत्रफल दर्ज नही किया गया। वादीगण के खाते मे ख० नं० 430 के स्थान पर ख० नं० 429 दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड मे त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया है एवं प्रतिवादीगण के खाते मे ख० नं० 429 के स्थान पर ख० नं० 430 दर्ज कर दिया गया, जबकि वादीगण का कब्जा ख० नं० 430 पर एवं प्रतिवादीगण का कब्जा ख० नं० 429 पर मौखिक रूप से है। उभयपक्ष ने मजमे आम मे उपस्थित होकर मौखिक रूप से काबिज अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष ने मजमे आम मे इस बाबत सहमति जाहिर की गई कि मुताबिक मौके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कर दिया जावे। सहमति स्वरूप उभयपक्ष द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादीगण की पहचान वकील श्री आबिद खान द्वारा तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री अनिल खण्डेलवाल द्वारा प्रमाणित की	

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
गई। अतः वादीगण के खाते में दर्ज ख० नं० 429 रकबा 0.77 है० के स्थान पर ख० नं० 430 रकबा 0.76 है० एवं प्रतिवादी नं० 2 ता 4 के खाते मे दर्ज ख० नं० 430 रकबा 0.76 है० के स्थान पर ख० नं० 429 रकबा 0.77 है० दर्ज किया जाना मुताबिक सहमति उचित प्रतीत होता है।	
लिहाजा वाद वादीगण एवं काउन्टर क्लेम प्रति० नं० 2 ता 4 उभयपक्ष की सहमति अनुसार स्वीकार किये जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम धनवां तहसील दीगोद स्थित गैर खातेदारी आराजी ख० नं० 429 रकबा 0.77 है० के स्थान पर ख० नं० 430 रकबा 0.76 है० एवं ख० नं० 430 रकबा 0.76 है० के स्थान पर ख० नं० 429 रकबा 0.77 है० दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आजमे आम मे सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) (लो० अ० वि० ना०)	

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दीगोद

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कॉर्ट ....बनेठियां........)

पीठासीन अधिकारी : नारायती वैष्णव RAS

..........रेवड़ीलाल वगै. .... <u>उनवान</u> बनाम ....राजस्थान सरकार वगै..........

दावा बाबत् ....88-89 RTA..........

मुकदमा नम्बर:– ....106/17..........

निर्णय दिनांक:– 19/06/2018

वादी की ओर से ....की व प्रतिवादी की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को ....(नाम पीठासीन अधिकारी) नारायती वैष्णव RAS .... के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होनें पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि– ग्राम धनवां तहसील दीगोद स्थित गैरखातेदारी आराजी ख०नं० 429 रकबा 0.77 हे० के स्थान पर ख०नं० 430 रकबा 0.76 हे० एवं ख०नं० 430 रकबा 0.76 हे० के स्थान पर ख०नं० 429 रकबा 0.77 हे० दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19/06/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नारायती वैष्णव RAS)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर दीगोद

<u>वाद के खर्चे</u>

वादी			प्रतिवादी		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बावत् इजराय हुक्मनामा	0	0	बावत् इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत.	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

Scanned by CamScanner